विकास आयुक्त कार्यालय
म.प्र. भोपाल

क्र/6133/22/वि–7/ग्रा.आ/15 भोपाल, दिनांक 06/04/2015

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत–समस्त
मध्यप्रदेश।

विषय :– इंदिरा आवास योजना वर्ष 2015–16 की कार्ययोजना 14 अप्रैल 2015 की ग्राम सभा में तैयार करने बावत्।

संदर्भ :– भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय का पत्र क्रमांक जे 15017/01/2014/आरएच दिनांक 02 जनवरी 2015

––00––

इंदिरा आवास योजना वर्ष 2015–16 की कार्ययोजना तैयार करने के सबंध में भारत सरकार द्वारा समय बद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस संबंध में आपको पूर्व में कार्यालयीन पत्र से अवगत भी कराया गया हैं। दिनांक 14 अप्रैल 2015 को आयोजित होने वाली **विशेष ग्राम सभा** में आपके द्वारा ग्राम पंचायत को आवंटित लक्ष्य मे से ग्राम पंचायत मे निर्धारित प्रतीक्षा सूची से ऐसे हितग्राहियों का चयन किया जायेगा जो आवासहीन हो एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हों। भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार हितग्राही का चयन निम्न क्रम में होगा :–

लक्ष्य समूह/चयन में प्राथमिकता –

ग्राम पंचायतों को आवंटित लक्ष्य में निम्नांकित क्षैणीवार परिवारों को चयन में प्राथमिक्ता दी जायेगी।

(I) पी.टी.जी. (प्रायमेरी ट्राईबल ग्रूप–बैगा, सहरिया, भारिया)
(II) वनअधिकार अधिनियम के तहत लाभार्थी परिवार।
(III) मेला ढोने वाले व्यक्तिगत परिवार
(IV) पुनर्वासित व्यक्ति/नुनर्वासित बंधुआ मजदूर।
(V) तत्पश्चात–निम्नानुसार वरीयता दिये जाने वाले परिवार।
(VI) विधवाओ, तलाकशुदा या परित्यक्त महिलाओं सहित विषम परिस्थितियों वाली महिलाएं, अत्याचार से पीड़ित महिआएं तथा ऐसी महिलाएं जिनके पति के से कम 3 वर्षो से गुमशुदा है और महिला प्रधान परिवार।
(VII) मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति (कम से कम 40 प्रतिशित विकलांगता)
(VIII) शारीरिक रूप से विकलांग (कम से कम 40 प्रतिशित विकलांगता)
(IX) ट्रांसजेन्डर व्यक्ति।
(X) सशस्त्र कार्रवाई में मारे गए सेना/पैरामिलिट्री/पुलिस बल कर्मियों की विधवाएं और निकट संबंधी (चाहे बीपीएल न भी हो)
(XI) अन्य बेघर बीपीएल परिवार।

अ.जा./अ.ज.जा, विकलांग व्यक्तियों, अल्पसंख्यको और अन्य व्यक्तियों को प्रवर्गवार आवंटित लक्ष्य अनुसार उपरोक्त कम में हितग्राही का चयन किया जाना है। शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग आवासहीन परिवारों के लिए 03 प्रतिशत आवास आवंटित किया जाना हैं।

14 अप्रैल 2015 की ग्राम सभा में उपरोक्त निर्देशो का पालन करते हुए ग्राम सभा से चयनित एवं अनुमोदित सूची जनपद पंचायत के माध्यम से प्राप्त की जाकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत स्वीकृत आदेश जारी करेगें। तद्नुसार स्वीकृत सूची मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को उपलब्ध करायेगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत स्वीकृति सूची अनुसार आवास सॉफ्ट में प्रविष्टि करायेगें। आवास सॉफ्ट में प्रविष्टि उपरांत सूची मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को प्रस्तुत करेगें। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उक्त सूची को आवास सॉफ्ट में एकजाई करते हुये इस कार्यालय को भेजा जाना सुनिश्चित करें।

आपके जिले को आवंटित प्रवर्गवार लक्ष्य अनुसार सूची 30 अप्रैल 2015 तक अनिवार्यतः प्रस्तुत करे।

(बिभाष कुमार ठाकुर)
संचालक
ग्रामीण रोजगार
विकास आयुक्त कार्यालय
म.प्र. भोपाल

क्र/6134/22/वि–7/ग्रा.आ/15 — भोपाल, दिनांक 06/04/2015

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
3. अपर सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. संभागायुक्त, समस्त संभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. कलेक्टर, जिला समस्त मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. मुख्य कार्यपालन जनपद पंचायत समस्त एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संचालक
ग्रामीण रोजगार
विकास आयुक्त कार्यालय
म.प्र. भोपाल